बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश –169

का०आ०सं०– निग / सारा (एन०एच०) विविध–17 / 2024–   पटना, दिनांक 25/6/26

श्री राजेन्द्र चौधरी, तत्कालीन प्रधान सहायक, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल डेहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत के राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए कार्यालय आदेश संख्या–93–सहपठित ज्ञापांक–6734 (एस) दिनांक 20.05.2008 द्वारा निलंबित करते हुए ज्ञापांक–14186 (एस) दिनांक 04.12.2009 द्वारा इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई। संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–70–सहपठित ज्ञापांक–1946 (ई०) दिनांक 21.04.2011 द्वारा श्री चौधरी को निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) निन्दन।

(ii) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii) निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

2. उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री चौधरी के द्वारा CWJC No-15053/2011 दायर किया गया, जिसमें पारित आदेश के विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा दायर LPA No-1263/2019 में दिनांक 22.01.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री चौधरी द्वारा 06 सप्ताह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर नहीं किया गया। श्री चौधरी द्वारा विलम्ब से दिये गये अपील अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–179–सहपठित ज्ञापांक–7738 (एस) दिनांक 04.09.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, परन्तु श्री चौधरी के अभ्यावेदन दिनांक 04.05.2026 में उल्लेखित है कि दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत हो जाने के कारण उक्त दण्ड का प्रभाव उनपर लागू नहीं हो पा रहा है। श्री चौधरी के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री चौधरी के दिनांक 31.08.2011 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–70–सहपठित ज्ञापांक–1946 (ई०) दिनांक 21.04.2011 से संसूचित दण्ड श्री चौधरी पर प्रभावी नहीं हो रहा है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–28 के तहत विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–70–सहपठित ज्ञापांक–1946 (ई०) दिनांक 21.04.2011 द्वारा संसूचित दण्ड–(i) निन्दन (ii) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक, के दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए प्रतिस्थानी दण्ड के रूप में **"सेवानिवृति तक प्रोन्नति पर रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

d:\nigrani section-13&14\ashok kumar\karyalay aadesh 2024 @ adhisuchna.docx

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) विविध–17/2024– पटना, दिनांक....................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (दक्षिण) उपभाग/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ (उत्तर) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी–ऑन–सोन/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, बेतिया/ उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (लेखा)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–05, 13/14 एवं **Sri Rajendra Choudhary, S/O Late Parichhan Choudhary, R/O Mohalla-Under Killa, Hajipur, P.O-Hajipur, Distt. Vaishali, Mob No-8252691050** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा (एन०एच०) विविध–17/2024– 4389(ए) पटना, दिनांक 25/6/24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

25/6/24

उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

25.06.24

d:\nigrani section-13&14\ashok kumar\karyalay aadesh 2024 @ adhisuchna.docx